तारीख ठुक्म	ठुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। चेरीडार सरकार उप। तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील बहस पर मनन करते एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. सें. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली कंप्लेन्स आने पर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
19/9/2025

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 71/2024 (विविध)
प्रकरण दायर दिनांकः–15.04.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः–19.02.2025

उनवान

1. रामकिशोर सैनी पुत्र बुद्धाराम सैनी जाति माली निवासी अक्षयपुरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया के वाके ग्राम अक्षयपुरी पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट बतौनी संख्या नई पुरानी 10 के खसरा नंबर 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 78, 79, 0,82, 83, 85, 91 कुल किता 14 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित भूमि मुतदाविया हिन्दू मुश्तर्का खानदान की भूमि है जो प्रार्थी को प्रार्थी के पिता बुद्धा से विरासत में प्राप्त हुयी है ार्थी को घर में किशोरीलाल के नाम से भी जाना जाता था जिस पर राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी का घर में बोलता नाम किशोरीलाल दर्ज कर दिया जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का सही नाम रामकिशोर सैनी पुत्र बुद्धाराम है जो कि सही है के अनुसार प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक, पत्नि की बैंक पास बुक जनआधार ार्ड, आदि सभी दस्तावेजात में वादी का नाम रामकिशोर सैनी पुत्र बुद्धाराम दर्ज है जो सही है सलिये प्रार्थी न्यायालय हाजा से अपने हक में इस अमर की घोषणा/दुरूस्ती करवाने का धिकारी है कि भूमि मुतदाविया उक्त जो कि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुयी है में सहवन से राजस्व अधिकारियों ने रिकॉर्ड दर्ज करते समय वादी का नाम रामकिशोर सैनी के स्थान पर केशोरी लाल गलत दर्ज कर दिया गया वह गलत है जिसको हजफ करवाकर प्रार्थी अब अपना ही नाम रामकिशोर सैनी पुत्र बुद्धाराम सैनी है जो सही है को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया ावें। प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अपने गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नही रही : प्रार्थी को अपने नाम गलत होने की जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड की नकल ेते समय हल्का पटवारी के द्वारा बताये जाने पर दिनांक 20.03.2024 को हुयी है इससे पूर्व ार्थी को अपने गलत नाम की बाबत कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी के पिता बुद्धाराम के केशोरीलाल नामक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है प्रार्थी का नाम रामकिशोर सैनी के स्थान पर प्रार्थी का घर का बोलता नाम किशोरी लाल राजस्व अधिकारियों ने सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो कि गलत है। प्रार्थी अपने नाम की दुरूस्थी करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के यहां पर दिनांक 20.03.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि

Scanned with OKEN Scanner

झे नाम दुरूस्थी के अधिकार नहीं है न्यायालय से आदेश करवाकर लाओ तथा न्यायालय में ार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व नाम दुरूस्थ नहीं किया इस कारण प्रार्थी के पास सिवाय प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण ार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया। सकूनत फरीकेन व स्थिति भूमि मुतदाविया/रिकॉर्ड न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा होने के कारण अखित्यार समाअत मुकदमा हाजा न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया उक्त प्रार्थना पत्र में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से प्रार्थी का किशोरी लाल पुत्र बुद्धा जो कि नाम घर में बोलता नाम दर्ज कर दिया है जो कि गलत है को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम रामकिशोर सैनी पुत्र बुद्धाराम सैनी दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे इस अमर की दुरूस्ती वादी के हक में जारी फरमायी जाकर प्रार्थी का सही नाम रामकिशोर सैनी पुत्र बुद्धाराम सैनी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई को जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम अक्षयपुरी पटवार हल्का प्रतापपुरा में जमाबंदी खाता संख्या 10 संवत् 2076–2079 में किता 14 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर में किशोरीलाल पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/4 जाति माली दर्ज है पत्रावली मे संलग्न आधाार कार्ड नं. 437663384206 से एवं ग्राम पंचायत प्रतापपुरा दिनांक 21.03.2024 के आधार पर किशोरीलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र बुद्धाराम जाति माली किया जाना सम्मानजनक नाम दर्ज करना उचित है।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सं. नया 10 पुराना 10 कुल किता 14 कुल रकबा 1.7600 हैक्टे ग्राम अक्षयपुरी राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा संवत 2076–79 खाता सं. नया 10 पुराना 10 कुल किता 14 कुल रकबा 1.7600 हैक्टे ग्राम अक्षयपुरी में किशोरीलाल पुत्र बुद्धा का नाम हजफ कर उसके स्थान पर रामकिशोर पुत्र बुद्धाराम जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

19/2/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.